

सं.05/10/2019-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन,

बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली -110001

दिनांक : 21 अक्तूबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर तदर्थ पदोन्नति – एपीएआर एवं सतर्कता निकासी मंगवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर तदर्थ पदोन्नति देने का मामला विचाराधीन है।

2. पदोन्नति हेतु विचाराधीन निम्नलिखित वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APAR) एवं सतर्कता निकासी राजभाषा विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है :

लंबित एपीएआर की सूची

क्रम सं.	श्री/श्रीमती/कु.	वर्तमान तैनाती	वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट
7.	अनिल कुमार	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2011-12, 2012-13 एवं 2016-17
8.	राजेश कुमार-	केंद्रीय जल आयोग	2015-16
9.	रेखा	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17

लंबित सतर्कता निकासी की सूची

क्रम सं.	श्री/श्रीमती/कु.	वर्तमान तैनाती	सतर्कता निकासी की स्थिति
11.	अनिल कुमार	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	सतर्कता निकासी प्राप्त नहीं हुई
12.	श्रीलेखा उन्नी	कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, मुंबई	सतर्कता निकासी प्राप्त नहीं हुई
13.	रेखा	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सतर्कता निकासी प्राप्त नहीं हुई
14.	अशोक विश्वकर्मा	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सतर्कता निकासी प्राप्त नहीं हुई
15.	अनुज कुमार	विधायी विभाग	सतर्कता निकासी प्राप्त नहीं हुई

3. विभाग के दिनांक 20.08.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत सतर्कता निकासी एवं दिनांक 30/09/2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एपीएआर मंगवाने के लिए कार्यालय ज्ञापन भेजे गए थे । तत्पश्चात विभाग के दिनांक 15.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा अनुस्मारक भी भेजा गया है ।

4. अतएव, अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेज राजभाषा विभाग को तत्काल अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दें जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके ।

(नेहू श्रीवास्तव)

अवर सचिव (सेवा)

दूरभाष 2343 8002

सेवा में,

1. संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (स्थापना/प्रशासन) । अनुरोध है कि सभी संबन्धित वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के अपेक्षित दस्तावेज शीघ्र राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवा दें।

2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी), राजभाषा विभाग: कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें ।